पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-III

दिनांक-11.02.2026

थाना सरोजनीनगर की पिंक बूथ 15 टीम ने मिशन शक्ति के तहत पराग रोड शनि देव मंदिर के आसपास भ्रमणशील रहकर में महिलाओं को पिक बूथ, महिला हेल्प डेस्क, मिशन शक्ति केंद्र की जानकारी दी।

थाना सरोजनीनगर की पिंक बूथ 15 टीम द्वारा पराग रोड शनि देव मंदिर, सरोजनीनगर में महिलाओ /बालिकाओ को मिशन शक्ति के तहत किया जागरूक। महिलाओं/बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति सजग बनाने तथा साइबर क्राइम से बचाव की दी गई जानकारी।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देशन में जनपद लखनऊ में 54 थानों पर मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। जिसमें 01 निरीक्षक,01 अतिरिक्त निरीक्षक, 01 उपनिरीक्षक,01 महिला उपनिरीक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है। थाने पर आने वाली महिलाओं की समस्त समस्याओं का त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है।

थाना सरोजनीनगर की पिंक बूथ 15 टीम द्वारा मिशन शक्ति के तहत एक महत्वपूर्ण जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें राहगीर महिलाओं और बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति सजग किया। इस दौरान महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई और साथ ही उन्हें महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों तथा साइबर क्राइम से बचाव के उपायों से अवगत कराया गया। यह पहला सकारात्मक कदम है जो समाज में सुरक्षा और जागरूकता का संदेश फैला रहा है।

आयोजक/ अयोजन स्थल

- म0हे0का0 देव कुमारी, थाना सरोजनीनगर, लखनऊ कमिश्नरेट
- म0का0 श्वेता दोहरे, थाना सरोजनीनगर, लखनऊ कमिश्नरेट
- पराग रोड शनि देव मंदिर , थाना सरोजनीनगर लखनऊ कमिश्नरेट

प्रतिभाग-

- थाना सरोजनीनगर क्षेत्र के अंतर्गत पराग रोड शनि देव मंदिर के आसपास करीब 20- 25 महिलाएं व बच्चे।

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

उत्तर प्रदेश पुलिस की महत्वपूर्ण पहल **"मिशन शक्ति 5.0"** के अंतर्गत, महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाने तथा उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लखनऊ कमिश्नरेट में जागरूकता कार्यक्रमों की शृंखला जारी है। इसी क्रम में, आज दिनांक 11.02.2026 को पिंक बूथ 15 थाना सरोजनीनगर द्वारा पराग रोड शनि देव मंदिर सरोजनीनगर के आसपास भ्रमणशील रहकर किया जागरूक किया गया।

इस दौरान उपस्थित **महिलाओं एवं महिलाओं** को **महिला सुरक्षा, बाल संरक्षण एवं आत्मरक्षा** से संबंधित विषयों की जानकारी दी गई। टीम ने प्रतिभागियों को दैनिक जीवन में सुरक्षा बनाए रखने और आत्मनिर्भर बनने के उपायों के बारे में विस्तार से बताया।

कार्यक्रम के उद्देश्य

1. कानूनी जागरूकता

महिलाओं को उन आचरणों एवं व्यवहारों की जानकारी दी गई जो अपराध की श्रेणी में आते हैं। उन्हें अपने अधिकारों एवं कानूनी सीमाओं के प्रति जागरूक किया गया ताकि वे आत्मरक्षा और न्याय की दिशा में सशक्त बन सकें।

2. साइबर सुरक्षा एवं ऑनलाइन जागरूकता

महिलाओं को साइबर अपराधों से बचाव के उपाय बताए गए। उन्हें यह समझाया गया कि किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें, ओटीपी या बैंक संबंधी जानकारी साझा न करें, और किसी भी ऑनलाइन फ्रॉड की स्थिति में तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर संपर्क करें।

3. सहायता केंद्रों की जानकारी

थाना स्तर पर संचालित महिला सुरक्षा केंद्र, महिला हेल्प डेस्क, एवं मिशन शक्ति केंद्र की उपलब्ध सेवाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। महिलाओं को बताया गया कि वे इन केंद्रों से सहायता, परामर्श एवं शिकायत दर्ज करने हेतु संपर्क कर सकती हैं।

निष्कर्ष एवं महत्व:

"मिशन शक्ति" का मुख्य लक्ष्य महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित, सजग और सशक्त बनाकर एक भयमुक्त और सम्मानजनक वातावरण का निर्माण करना है। यह केवल अपराधों पर प्रतिक्रिया तक सीमित नहीं, बल्कि एक सक्रिय और रोकथाम-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाता है।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-I

मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत महिलाओं को आत्म-सुरक्षा एवं साइबर अपराध की दी जानकारी।

थाना रहीमाबाद टीम द्वारा मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत ग्राम तिलन रहीमाबाद में महिलाओं और बच्चों को विभिन्न हेल्पलाइन नंबर, थानों पर स्थापित महिला शक्ति केंद्र, महिला हेल्प डेस्क, पिंक बूथ, पिंक स्कूटी जैसी सुविधाओं के बारे में जानकारी देकर साइबर क्राइम तथा यूपी कॉप एप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियो से किया जागरूक।

दिनांक: 11.02.2026

मिशन शक्ति का उद्देश्य महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। यह मिशन उन्हें उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने, आत्मरक्षा के गुर सिखाने और आपात स्थितियों में त्वरित मदद के लिए उपलब्ध विभिन्न हेल्पलाइन सेवाओं से जोड़ने का कार्य करता है। इसका लक्ष्य एक ऐसा सशक्त और संवेदनशील वातावरण निर्मित करना है जहाँ प्रत्येक महिला और बालिका निर्भय होकर अपने भविष्य का निर्माण कर सके।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित *"मिशन शक्ति 5.0"* अभियान महिला सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण एवं जुलाई 01, 2024 से प्रभावी भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के सम्बन्ध में जानकारी देते हुये लोगों को जागरूक की दिशा में एक सशक्त पहल है। यह अभियान महिलाओं को उनकी शक्ति का एहसास कराता है और समाज में समानता, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की भावना को प्रोत्साहित करता है।

आयोजन का विवरण:

- उपनिरीक्षक प्रदीप पटेल, थाना रहीमाबाद, लखनऊ कमिश्नरेट।
- महिला आरक्षी प्रियंका, थाना रहीमाबाद, लखनऊ कमिश्नरेट
- ग्राम तिलन थाना रहीमाबाद लखनऊ

आयोजक टीम:

- ✓ उपनिरीक्षक प्रदीप पटेल, थाना रहीमाबाद, लखनऊ कमिश्नरेट।
- ✓ महिला आरक्षी प्रियंका, थाना रहीमाबाद, लखनऊ कमिश्नरेट
- ✓ आरक्षी रणविजय, थाना रहीमाबाद, लखनऊ कमिश्नरेट।
- ✓ ग्राम तिलन रहीमाबाद में जाकर महिलाओं एवं बच्चों का जागरूक किया गया।

कार्यक्रम का विस्तृत विवरण:

मिशन शक्ति फेज 5.0 अभियान के तहत आज दिनांक 11.02.2026 को थाना मलिहाबाद, लखनऊ की पुलिस टीम (उपनिरीक्षक प्रदीप पटेल एवं म0का0 प्रियंका) द्वारा ग्राम तिलन रहीमाबाद में जाकर महिलाओं को सुरक्षा और सशक्तिकरण के प्रति जागरूक किया गया।

कार्यक्रम का उद्देश्य:

- महिलाओं/ बालिकाओं एवं बच्चो में मिशन शक्ति व अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाना।
- हेल्पलाइन नंबरो के बारे में विस्तार पूर्वक समझाना ।
- साइबर अपराधों के प्रति सजग करना।

मिशन शक्ति जागरूकता कार्यक्रम

मिशन शक्ति जागरूकता कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं एवं बच्चियों को उनके कानूनी अधिकारों, सुरक्षा उपायों और सहायता सेवाओं के प्रति संपूर्ण रूप से सजग और सशक्त बनाना था। इस कार्यक्रम के माध्यम से:

1. महिलाओं को उनके विरुद्ध होने वाले अपराधों की पहचान और रोकथाम के बारे में जानकारी दी गई।
2. महिला संबंधी सरकारी योजनाओं तथा हेल्पलाइन नंबरों (जैसे 1090, 181, 112, 1930 आदि) से अवगत कराया गया, ताकि आपात स्थिति में त्वरित सहायता प्राप्त की जा सके।
3. बालिकाओं/बच्चों को बैड टच व गुड टच के प्रति सचेत किया गया और उन्हें व्यक्तिगत सुरक्षा के गुर सिखाए गए।
4. महिला हेल्प डेस्क व मिशन शक्ति केंद्रों की भूमिका से परिचित कराकर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया।
5. आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास का संदेश देकर महिलाओं और बालिकाओं को स्वावलंबी बनने की दिशा में प्रोत्साहित किया गया।

इस प्रकार, यह कार्यक्रम महिला सुरक्षा, कानूनी जागरूकता और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु एक सार्थक प्रयास साबित हुआ।

निष्कर्ष:

यह कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा जागरूकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। इसके माध्यम से न केवल महिलाओं और बच्चियों को उनके अधिकारों व सुरक्षा उपायों की जानकारी मिली, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा भी मिली। समाज में सकारात्मक बदलाव लाने हेतु इस प्रकार के आयोजन भविष्य में भी जारी रखने की आवश्यकता है।

यह कार्यक्रम लखनऊ पुलिस की उस सतत प्रयासशीलता का एक हिस्सा है, जिसके तहत एक सुरक्षित और संवेदनशील समाज के निर्माण के लिए कार्य किया जा रहा है।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-II

दिनांक- 11.02.2026

मिशन शक्ति 5.0

अलीगंज में शक्ति का संदेश, सुरक्षा व्यवस्था से कराया अवगत।

थाना अलीगंज क्षेत्र के नवीन गल्लामंडी में मिशन शक्ति कार्यक्रम का आयोजन, महिला हेल्प डेस्क, मिशन शक्ति केंद्र के कार्यों के बारे में जानकारी देकर महिलाओं व बालिकाओं को उनके भविष्य के प्रति आत्मनिर्भर बनने के लिए किया गया जागरूक।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में **श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर** के निर्देशन में जनपद लखनऊ में 54 थानों पर मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। जिसमें 01 निरीक्षक,01 अतिरिक्त निरीक्षक,01 उपनिरीक्षक, 01 महिला उपनिरीक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है। थाने पर आने वाली महिलाओं की समस्त समस्याओं का त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है।

आयोजन स्थल-

नवीन गल्लामंडी थाना अलीगंज में मिशन शक्ति कार्यक्रम आयोजित किया गया।

प्रतिभाग-

- म0उ0नि0 प्रगति सिंह, थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट।
- म0उ0नि0 आशी गुप्ता, थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट।
- उ0नि0 इंद्रदेव, थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट।
- नवीन गल्लामंडी थाना अलीगंज में आयी महिलाएं व बालिकाएं

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 11.02.2026 को अलीगंज टीम द्वारा मा0 मुख्यमंत्री द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत एंटी रोमियो स्क्वायड टीम व मिशन शक्ति टीम के द्वारा महिला सुरक्षा केंद्र, महिला सशक्तिकरण तथा साइबर जागरूकता अभियान के तहत नवीन गल्लामंडी थाना अलीगंज मे महिलाओं को महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों जैसे 1090 (महिला पावर लाइन), 181 (महिला हेल्पलाइन), 1098 (चाइल्डलाइन), 1076 (टोल-फ्री सिटीजन कॉल सेंटर), 101 (अग्निशमन), 102 (एम्बुलेंस), 108 (आपातकालीन सेवा), 112 (ईआरएसएस) और 1930 (साइबर क्राइम हेल्पलाइन) के बारे में विस्तार से बताया गया।

इसके अलावा, उन्हें यूपी-100 (यूपी कॉप) एवं महिलाओं के लिए समर्पित अन्य सरकारी योजनाओं से भी अवगत कराया गया, साथ- साथ महिला हेल्प डेस्क , मिशन शक्ति केंद्र के कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। बालिकाओं को उनके भविष्य के प्रति आत्मनिर्भर बनने के लिए जागरूक किया गया।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं व बच्चों को आपातकालीन हेल्पलाइन नंबरों जैसे 112, 1090, 181, 1076, 1098, 102 और 108 के महत्व को समझाया गया, साथ ही महिला हेल्प डेस्क, पिंक बूथ, पिंक स्कूटी और यूपी कॉप एप जैसी सुविधाओं की जानकारी दी गई। टीम ने साइबर अपराधों से बचाव के उपाय बताते हुए साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 के प्रति सचेत किया और सरकार द्वारा संचालित विभिन्न महिला कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया ताकि वे सुरक्षित और स्वावलंबी बन सकें।

कार्यक्रम का उद्देश्य:

- महिलाओं के विरुद्ध अपराधों, साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाना।
- महिला शक्ति को प्रोत्साहित करना और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति सजग करना।
- महिलाओं की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना।

कार्यक्रम के प्रमुख बिंदु:

1. **हेल्पलाइन सेवाओं की जानकारी:** महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों - 1090 (महिला पावर लाइन), 181 (महिला हेल्पलाइन), 112 (इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम), 1098 (चाइल्डलाइन), 1930 (साइबर क्राइम हेल्पलाइन), 102 (एम्बुलेंस), 108 (आपातकालीन ambulance) और 1076 (COVID-19 हेल्पलाइन) के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।
2. **सुरक्षा योजनाओं का प्रचार-प्रसार:** एंटी रोमियो टीम, महिला शक्ति केंद्र, पिंक बूथ, पिंक मोबाइल एप्लीकेशन और महिला हेल्प डेस्क जैसी सुरक्षा योजनाओं के बारे में बताया गया, जो महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु विशेष रूप से संचालित हैं।
3. **साइबर सुरक्षा जागरूकता:** सोशल मीडिया, ऑनलाइन धोखाधड़ी, फिशिंग और अन्य साइबर अपराधों से बचाव के उपायों पर विस्तृत चर्चा की गई। साइबर अपराध की स्थिति में त्वरित सहायता के लिए टोल-फ्री नंबर 1930 के उपयोग की जानकारी दी गई।
4. **यातायात नियमों का पालन:** यातायात सुरक्षा माह के अंतर्गत उपस्थित लोगों को वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग करने, तीन सवारी न बैठाने, गति सीमा का पालन करने और यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

सामग्री वितरण:

कार्यक्रम के दौरान महिलाओं एवं बच्चों को विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों और सुरक्षा योजनाओं की जानकारी से युक्त पम्पलेट वितरित किए गए, ताकि वे आवश्यकता पड़ने पर इन सेवाओं का लाभ उठा सकें।

इस कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को न केवल अपने अधिकारों और उपलब्ध सुरक्षा तंत्रों की जानकारी प्राप्त हुई, बल्कि उनमें आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना का भी संचार हुआ, जो मिशन शक्ति के 'हर गाँव, हर नारी; हो सुरक्षित और हो सजग' के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक सार्थक कदम साबित हुआ।